(4)

|| न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ||

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस० 2018/40

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/43 तारीख रज्जू 06.06.2018

01– राहुल प्रताप सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी 9 जे.के. नगर, 200 फुट बाई पास रोड अलवर

—प्रार्थी

बनाम

01– जुबेर खां पुत्र बागसिंह, जाति मेव, निवासी ग्राम माचडी, तहसील व जिला अलवर

02– नूर मोहम्मद पुत्र श्री सुभान खां, जाति मेव, निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर

03– फजरू खान पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मेव, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर

04– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी</u>

दिनांकः 23.09.2019

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(5)

आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 0.55 है० वाके ग्राम पैंतपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जो वर्तमान में विवादित है। विवादित आराजी में मिन प्रार्थी 0.25 है० में 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण 12.5 ऐयर खरीद शुदा है जिसे प्रार्थी ने दिनांक 19.06.2017 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा अप्रार्थी संख्या 3 फजरू खान पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मेव निवासी माचडी तहसील अलवर से खरीद किया है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा है व बहैसियत मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। विवादित आराजी में जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2074 में प्रार्थी के नाम का अंकन हो रहा है। प्रार्थी के अलावा उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का भी हिस्सा है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 काबिज रहकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है। प्रार्थी द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजी के हिस्से में बाद खरीद बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है जो मौके पर मौजूद है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य विवादित आराजी में अपने अपने हिस्से बाबत मौखिक सहमति है लेकिन बटवारा नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की आरजी का खरीद के बाद से ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को निवेदन किया जाता है कि वो वादग्रस्त आराजी का विधिक बटवारा करवा ले एवं खाता कायम कर लगान कायम करा ले। लेकिन अप्रार्थीगण टाल बाल करते रहे। मौके पर पृथक पृथक शान्ति पूर्वक कब्जो है। लिखित बटवारे के क्या जल्दी है समय मिलने पर बटवारा करा लेगें। प्रार्थी अपनी क्रयशुदा आराजी का तकासमा कराकर अलग खाता कायम व लगान कायम कराना चाहता है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 02.06.2018 को बटवारा करने से इन्कार कर दिया ओर कहा कि न्यायालय से बटवारा करा ले। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 0.55 है० वाके प्राम पैंतपुर तहसील अलवर में दर्ज खातेदारी प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी 0.25 है० में 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण यानि 12.5 ऐयर के उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करे, शान्ति

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

पूर्वक उपयोग उपभोग करने दे, पावन्द रहे, बाज आए का निवेदन न्यायालय को किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का ये अंकित करना की उसने आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 0.55 है० वाके ग्राम पैंतपुर तहसील अलवर में से 25 ऐयर का 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण अर्थात 12.5 ऐयर जमीन खरीद की हो अनावश्यक रूप से विवादित बताया है। अविभाजित आराजी में प्रार्थी को विशिष्ठ भाग तरफ दक्षिण खरीद करने का कोई विधिक अधिकार नही था ना ही तथाकथित खरीद से प्रार्थी को कोई अधिकार आयद व सृजित होते है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर का बय तरफ दक्षिण हिस्सा क्रय नही किया गया है। जिससे प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। कानून के खिलाफ होने के कारण बयनामा प्रारम्भ से ही शून्य है, प्रार्थी का कोई कब्जा नही है, तथाकथित विक्रय पत्र जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया है, कानून के खिलाफ होने के कारण शून्य दस्तावेज है जिससे वादी को कोई अधिकार प्राप्ति नही होते है। दावा अन्तर्गत आराजी अभिवाजित आराजी है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 व 3 व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण सम्मिलित रूप से काबिज होकर काश्त करने चले आ रह है। प्रार्थी जिस विक्रय पत्र के आराजी पर दावा लेकर आया है। अप्रार्थी संख्या–3 से बिना पढाये धोखे व चालाकी से दस्तखत करा लिये थे। अप्रार्थी संख्या 3 को कानूनन विशिष्ठ भाग बेचने का कोई अधिकार नही था। प्रार्थी का ये कथन भी गलत है कि उसके द्वारा चार दीवार का निर्माण करा लिया गया है। अपितु मिन अप्रार्थीगण द्वारा चारदीवारी का निर्माण कराये है मौके पर अप्राथीगण की रिहायश की हुई है व मौके पर तामीर की हुई है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कोई मौशित सहमति नही दी है। विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य है। शून्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते। प्रार्थी विभाजन का दावा

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

ाने का अधिकारी नही हैं। प्रार्थी ने मनढन्त व बनावटी तारीख 02.06.2018 लत दर्ज की है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुल व पूर्णिय क्षति आयद साबित नही है। प्रार्थी स्ट्रेन्जर पर्सन की संज्ञा में आता है, ार्थी को किसी भाग पर कोई कब्जा नही है। अप्रार्थी संख्या–1 जुबेर खां ने उक्त आराजी में से अपने 1/2 भाग यानि 27.5 ऐयर भूमि में से 25 ऐयर भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या–3 फजरू खान को कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या–1 जुबेर खां द्वारा विवादित आराजी में से अपने 1/2 भाग 27.5 ऐयर में से 25 ऐयर भूमि का बेचान के बाद अप्रार्थी संख्या–1 के पास मात्र 2.5 ऐयर भूमि यानि 1/22 हिस्सा शेष बचा। जो कि जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2074 साबित है। अप्रार्थी संख्या–3 फजरू द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 जुबेर खां से अविभाजित क्रयशुदा 25 ऐयर में से 1/2 भाग यानि 12.5 ऐयर भूमि तरफ दक्षिण का बयनामा दिनांक 13.6.2017 को बिना विभाजन कराये प्रार्थी ने विधि के विरूद्ध कराया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है क्योकि आराजी अबट है। प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। इस कारण प्रार्थी को कोई हकूक सृजित नही होते है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या–2 विवादित आराजी में अपने 1/2 हिस्सा सालिम पर काबिज है, प्रार्थी व उसका भाई दिनेश प्रताप लालची व झगडालू प्रर्वति के है जिन्होने यू.पी. से गुण्डे बुला रखे है जो अप्रार्थीगण को विवादित आराजी में कार्य काश्तकारी में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा कर रहे जबरन कब्जा करने के प्रयास में तथा गलत इन्द्राज की आड में प्लाटिंग करके व फर्जी नक्शा बनवाकर दीगर लोगों को मुन्तकित व मकफूल करने पर तुले हुए है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

एक प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 दिनांक 27.07.2018 को न्यायालय में **नूर मौहम्मद बनाम राहुल प्रताप** प्रार्थी नूर मोहम्मद द्वारा पेश किया गया। जिसमें असल प्रतिवादी संख्या–1 राहुल प्रताप सिंह व प्रतिवादी संख्या–2 दिनेश प्रताप सिंह एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या–3 जुबेर खान व तरतीबी प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

संख्या–4 फजरू अंकित किये गये व प्रतिवादी संख्या–5 तहसीलदार अलवर तकमीली प्रतिवादी दर्ज किये है। प्रार्थी ने हाल आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 0.55 है० वाके ग्राम पैंतपुर में अपना 1/2 हिस्सा यानि 27.5 ऐयर भूमि का खातेदार जाहिर किया है। जिसमें मौके पर मकानात बनाकर रिहाईश किये हुए है तथा शेष 1/2 भाग का तरतीबी प्रतिवादी संख्या–3 जुबेर खां खातेदार काश्तकार है अर्थात सम्पूण आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–3 की सालिम आराजी है। जिसका बटवारा नही हुआ है। जुबेर खां ने 25 ऐयर भूमि फजरू को बेचान कर दी। जुबेर खा के पास 2.5 ऐयर भूमि यानि 1/22 हिस्सा शेष बचा जुबेर खां ने अपने हिस्से 25 ऐयर आराजी में से 1/2 भाग बिना विभाजन कराये राहुल प्रताप सिंह को बेचान कर दिया। बयनामा व इंतकाल संख्या 483 स्वतः ही प्रारम्भ से शून्य है। जमाबन्दी 2072 से 2074 में विवादित आराजी में से 5/11 हिस्सा यानि 25 ऐयर भूमि दर्ज है। फजरू खां के नाम का इन्द्राज ही नही किया गया है। जों इन्द्राज खिलाफ मौका, कब्जा वस्तुस्थिति के विपरीत है। राजस्व कर्मचारियान से मिलकर राहुल प्रताप ने स्वयं को बेजा लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से फजरू खां का हिस्सा अपने नाम करा लिया। फजरू खां का हिस्सा मौजूदा जमाबन्दी में अंकित नही है। अप्रार्थीगण झगडालू पृकति के है जिन्होने यू.पी. से गुण्डे बुंला रखे है एवं कब्जा करना चाहते है। जो प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। जबरन कब्जा कर उक्त भूमि पर प्लाटिंग करने, अवैध रास्ता कायम करने की धमकी दे रहे है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में बतलाते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर हाल

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

राजी खसरा नम्बर 751 रकबा 0.55 है० वाके ग्राम पैंतपुर तहसील अलवर में नय पक्षकारान मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी ये गये। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय जवाब पेश किया। जिसमें निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.55 है० आराजी जिसमें मिन अप्रार्थीगण का 25 ऐयर में 1/2 हेस्सा तरफ दक्षिण है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी को दिनांक 19.06.2017 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है जिसका इंतकाल संख्या 483 अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज व मंजूर हो चुका है। वादग्रस्त आराजी की बाबत ये कहना गलत है कि मौके पर कोई विभाजन नही हुआ है। फजरू को उक्त आराजी को बेचने का हक ना हो। मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2072 से 2074 में अप्रार्थीगण का अंकन है। अप्रार्थीगण के अलावा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का हिस्सा है। खरीदशुदा आराजी पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। लिखित बटवारा मौजूद नही है। अप्रार्थीगण विभाजन करने में टाल बाल करते है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का मौके पर अलग अलग कब्जा है। दिनेश प्रताप को बेजा पक्षकार बनाया है। खातेदारों के मध्य पूर्व से ही मौखिक विभाजन मौजूद है। खरीद की दिनांक से ही अप्रार्थीगण शान्तिपूर्वक रहकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। तकासमे का वाद न्यायालय में पेश किया हुआ है। ये कहना गलत है कि प्रार्थी एवं तरतीब अप्रार्थीगण की आराजी में निहित भाग पर कब्जे काश्त में बाधा डाली हो जबरन बेदखल करने का प्रयास किया हो या मौके पर कोई धमकी दी हो कुल तथ्य गलत है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी को पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रार्थी के पक्ष जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2018 खारिज करने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

राहुल प्रताप सिंह बनाम जुबेर खां वगै०

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी (नूरमोहम्मद) ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.08.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने का न्यायालय को निवेदन किया तथा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरें पेश कीः–

01– आरआरडी 1977 पेज 470

02– आरआरडी 2010 पेज 96

03– आरबीजे 1995 पेज 615

04– आरआरडी 1990 पेज 419

05– आरआरडी 1991 पेज 197

06– आरआरडी 1994 पेज 778

07– आरआरडी 1989 पेज 594

08– आरआरडी 1987 पेज 330

09– आरआरडी 2012 पेज 523

10– एआईआर 1966 (सर्वोच्च न्यायालय) पेज 470

वकील अप्रार्थीगण (राहुल प्रताप) ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंटस प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर दिनांक 01.08.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 2/88 में प्रार्थी नूरमोहम्मद द्वारा विवादित आराजी के 1/2 भाग में काश्त व मकानात बनाकर रिहाईश रखना अंकित किया है तथा शेष 1/2 भाग का तरतीबी अप्रार्थी संख्या–3 जुबेर खां को काश्तकार खातेदार था जिसने 25 ऐयर भूमि

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

तरतीबी अप्रार्थी फजरू को विक्रय कर दी व फजरू द्वारा 25 ऐयर में से दक्षिण का 1/2 भाग अप्रार्थी संख्या–1 राहुल प्रताप सिंह को बेचान करना अंकित किया है। वकील साहिबान की बहस पर मनन किया। हम इस नतीजे पर पहुचे है कि प्रकरण **नूरमौहम्मद बनाम राहुल प्रताप सिंह वगै०** में प्रार्थी नूरमौहम्मद के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2018 खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र **राहुल प्रताप बनाम जुबेर खां**, संख्या 2/43 दिनांक 06.06.2018 में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रकरण **नूरमौहम्मद बनाम राहुल प्रताप सिंह वगै०** में प्रार्थी नूरमौहम्मद के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2018 वैकेट कर खारिज की जाती है तथा प्रार्थना पत्र **राहुल प्रताप बनाम जुबेर खां** संख्या 2/43 दिनांक 06.06.2018 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner